भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1662

उत्तर देने की तारीख : 10.12.2025

छात्रवृत्ति योजनाओं का बंद होना

1662. श्री नवसकनी के.:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल के वर्षों में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए किसी छात्रवृत्ति योजना को कम किया है या बंद किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और मेधा-सह-साधन छात्रवृत्ति के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या में कमी आई है और यदि हाँ, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, विशेषकर तमिलनाडु में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या धनराशि जारी करने में देरी से छात्रों की उच्च शिक्षा जारी रखने की क्षमता प्रभावित हुई है और यदि हाँ, तो ऐसी देरी के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार अल्पसंख्यक छात्रों को शैक्षिक अवसरों से वंचित न करने के लिए पूर्व वित्तपोषण स्तर को बहाल करने या अतिरिक्त सहायता शुरू करने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सभी राज्यों में अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति निधि में पारदर्शिता, उसका समय पर वितरण और उचित आवंटन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

<u>उत्तर</u>

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क): मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कवरेज को संशोधित किया गया है और अब इसे केवल कक्षा IX और X के लिए लागू किया गया है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत प्रत्येक बच्चे को नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा (कक्षा I से VIII) प्रदान की जाती है।

(ख) से (घ): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजनाएं, अर्थात् मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं को 2021-22 के बाद लागू करने की स्वीकृति नहीं मिली है।

(ङ): छात्रवृत्ति धनराशि के पारदर्शी और उचित आवंटन को सुनिश्चित करने हेतु आवेदकों और आवेदन सत्यापित करने वाले प्राधिकारियों के लिए आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली (APBS), आधार समर्थित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली को अनिवार्य किया गया था।

*****